न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

===

द्वितीय निगरानी क्रमांक- वर्ष 2012.

रामाधीन तनय बोड़ा यादव उम्र 60 साल
निवासी ग्राम पंचमनगर, तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर म0प्र0 --------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. कमल किशोर तनय सूरा अहिरवार
निवासी पंचमनगर, तह. लवकुशनगर, जिला-छतरपुर म0प्र0.
2. शासन म0प्र0 --------अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0सं01959.

===

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान कलैक्टर महोदय, छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्र. 42/निगरानी/अ-12/2011-12. में पारित आदेश दिनांक-15.5.2012 से व्यथित होकर.

===

महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार द्वितीय निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि माननीय योग्य अधीनस्थ न्यायालय कलैक्टर महोदय, छतरपुर की न्यायालय में निगरानीकर्ता ने प्रथम निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार बछौन, तहसील चंदला के प्रकरण क्र. 88/अ-12/2010-11 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक-15.9.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी, जो कलैक्टर महोदय, छतरपुर ने दिनांक-15.5.2012 को निरस्त कर दी ।

2. यह कि निगरानी का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि - अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता कमल किशोर अहीर ने तहसीलदार तहसील बछौन के समक्ष भूमि खसरा नं. 31-62-69/1/2-69/2/2, 80 202-213/1/2 एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2993-दो/2012 जिला छतरपुर रामाधीन विरूद्ध कमलकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 42/निगरानी/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15-05-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-09-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 05/02/19 सदस्य	